विविध बैंक प्रकरण संख्या 77/2017 (RCMS 2017/00146) **Oriental Bank of Commerce** through R.K. goyal, Chief Manager cum Authorised Officer, Resolution Recovery Law Cluster office, Sri Ganganagar(Raj) बनाम 1. **Sh. Deepak Sharma** S/o Sh. Subhash Chand Sharma 2. **Sh. Subhash Chand** S/o Sh Ram Chand R/o Ward No. 01 Near Malkana Cotton Factory, Arorvansh Mandir Kesrisinghpur, Distt.-Sri Ganganagar 3. **Sh. Ranjeet Kumar** S/o Sh. Sohan Lal r/o Near Durga Mandir, Kesrisinghpur Distt. Sri Ganganagar 4. **Sh. Ramesh Kumar** S/o Dayala Ram r/o W.No. 06, Kesrisinghpur Distt. Sri Ganganagar

13.11.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी श्री दीपक शर्मा, श्री सुभाष चन्द, श्री रणजीत कुमार एवं श्री रमेश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या 08216025002611 में 4.00 लाख दिनांक 06.06.2012 को एवं खाता संख्या 08216015021113 में 1.50 लाख का दिनांक 08.09.2014 को कुल 5.50 लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख पचास हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री सुभाष चन्द्र की अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 2 का भाग (20 गुणा 25 वर्गफुट), वार्ड नं 01 केसरीसिंहपुर, करणपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 04.04.2016 को कुल 5,29,568/–रूपये (खाता संख्या 08216015002611 में 3,85,576/– एवं खाता संख्या 08216015012113 में 1,43,992/–) ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 04.04.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर हो चुकी है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सुभाष चन्द्र द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 2 का भाग (20 गुणा 25 वर्गफुट), वार्ड नं 01 केसरीसिंहपुर, करणपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणियों श्री दीपक शर्मा, सुभाष चन्द्र एवं रणजीत को 4.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति 06.06.2012 को एवं अप्रार्थी ऋणियों श्री दीपक शर्मा, सुभाष चन्द्र एवं रमेश कुमार को 1.50/— लाख रूपये (अखरे रूपये एक लाख पचास मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति 08.09.2014 को (कुल राशि 5.50 लाख रूपये) प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में सुभाष चन्द्र द्वारा अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 2 का भाग (20 गुणा 25 वर्गफुट), वार्ड नं 01 केसरीसिंहपुर, करणपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 31.03.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 04.04.2016 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर डाक से भिजवाया गया है। धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद एवं श्री दीपक शर्मा एवं सुभाष चन्द्र को नोटिस प्राप्ति की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है,

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

जिसके अनुसार श्री दीपक शर्मा एवं सुभाष चन्द्र को नोटिस की तामील हो चुकी है परन्तु रणजीत एवं रमेश कुमार को जारी नोटिस की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 2 का भाग (20 गुणा 25 वर्गफुट), वार्ड नं 01 केसरीसिंहपुर, करणपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) जो श्री सुभाष चन्द्र के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.04.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.04.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी ऋणियों श्री दीपक शर्मा, सुभाष चन्द्र एवं जमानतदार रणजीत एवं रमेश कुमार के नाम जारी किये गये है। धारा 13(2) के जारी किये गये नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं अप्रार्थी दीपक शर्मा एवं सुभाषचन्द्र को नोटिस प्राप्ति की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणियों दीपक शर्मा एवं सुभाष चन्द्र को धारा 13(2) के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नोटिस की तामील हो चुकी है परन्तु अप्रार्थी जमानतदार रणजीत एवं रमेश कुमार जो की अधिनियम के अनुसार ऋणी की परिभाषा में आते है, की तामील के सम्बन्ध कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं रणजीत के स्थान पर रजत के नाम की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं रणजीत जो की खाता संख्या 08216015002611 ऋण राशि 4.00 लाख रूपये में गारंटर के रूप में है एवं रमेश कुमार जो कि खाता संख्या 08216015012113 ऋण राशि 1.50 लाख रूपये में गारंटर के रूप में है। इसलिए इन दोनों रमेश कुमार व रणजीत पर भी धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना आवश्यक थी, जो दोनों पर नहीं पाई जाती है इसके अतिरिक्त दोनों ऋणियों के अलग खातों में ऋणियों के अलग होने के कारण, अलग अलग प्रकरण प्रस्तुत करने चाहिए थे। उक्त विवेचन के अनुसार रमेश कुमार व रणजीत पर उक्तानुसार नोटिस धारा 13(2) की तामिल नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज करने योग्य है।

अतः प्रार्थी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2017 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर